एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - ०६ /2021

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः फरवरी 19 ,2021

विषयः- रिट पिटीशन संख्याः 3161(M/B)/2021 श्रीमती शहजादी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकः05.02.2021 के अक्षरशः अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से आपराधिक मामलों की समयबद्ध व साक्ष्यपरक विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये है किन्तु उसका पूर्णतया अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

डीजी-परिपत्र सं0 - 23/2019 दि0 19.06.2019
डीजी-परिपत्र सं0 - 01/2019 दि0 02.01.2019
डीजी-परिपत्र सं0 - 59/2016 दि0 20.10.2016

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष रिट पिटीशन संख्याः 3161(M/B)/2021 में सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद बहराइच के एक प्रकरण में आरोप पत्र असमान्य रूप से लम्बे समय तक क्षेत्राधिकारी कार्यालय में लम्बित रहा और उसे ससमय मा0 न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2021 में विलम्ब के सम्बन्ध में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये निम्नवत टिप्पणी की गयी है-

"Now it has been stated by the Superintendent of Police, Bahraich that the said charge-sheet was forwarded on 21.12.2020 by the Circle Officer along with the supplementary charge-sheet dated 10.12.2020 submitted against Rahmat Ali @ Chotu and reached the Court on 19.01.2021.

It would be relevant to mention here that while concluding the investigation, the charge-sheet in the matter is to be submitted by the Investigating Officer for being forwarded to the Circle Officer, who is under the responsibility of getting the same submitted before the competent court, at once.

In order to discourage such practice, we deem it proper to ascertain that the D.G.P., U.P. shall ensure that in cases where the charge-sheet has been submitted by the Investigating Officer of a criminal case and the matter is to be forwarded by the Circle Officer to the concerned court, the same should reach expeditiously without any delay. "

गम्भीर अपराधों में ससमय विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करना तथा पीड़ित को न्याय प्रदान कराना विवेचना का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिये अनेक अधिनियमों / नियमों में विवेचना पूर्ण करने की समयसीमा भी निर्धारित की गयी है, जो निम्नवत है-

1/

क्र.सं.	अधिनियम / नियम	सुसंगत धारा / नियम	विवेचना पूर्ण किये जाने की समयसीमा
1.	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973.	**धारा 173 (1क)** के अनुसार भा0द0वि0 की धारा 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB या 376E के अधीन अपराध के मामले में थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिलिंखित सूचना के दिनांक से **दो माह के अन्दर**) अन्वेषण पूरा किया जा सकेगा।	**02 माह**
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 (संशोधन 2016)	**नियम-7(2) उपनियम (1)** के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरन्त राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और सम्बद्ध पुलिस थाने का भारसाधक **साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित है)** के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा। **(2क) उपनियम(2)** के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाइल करने में विलम्ब यदि की हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा।	**60 दिन**
3.	उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861	**प्रस्तर-122(1)** ...मामले में अन्तिम डायरी के साथ आरोप पत्र क्षेत्राधिकारी और लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में पेश किया जायेगा और समन तथा वारण्ट मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को दाखिल करने की तिथि से **चार सप्ताह** के भीतर और सत्र मामलों में **08 सप्ताह** के भीतर न्यायालय में पहुँचना चाहिये । क्षेत्राधिकारी और लोक अभियोजक में से किसी को सामान्यतया आरोप पत्र को **एक सप्ताह** से अधिक के लिए प्रतिधारित नहीं करना चाहिये और लोक अभियोजक को विहित समय सीमा के भीतकर सम्बद्ध न्यायालय को इसे पेश करना चाहिए। विहित समय सीमा में विशेष कारणों के सिवाय वृद्धि नहीं की जानी चाहिये।	समन और वारन्ट मामलों में 04 सप्ताह सत्र मामलों में 08 सप्ताह

उपरोक्त से स्पष्ट है कि समयबद्ध विवेचना करते हुए आरोप पत्र नियत समय सीमा के अंदर न्यायालय प्रेषित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी दशा में आरोप पत्र तैयार हो जाने के उपरान्त पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर पर मात्र अग्रसारण हेतु लम्बित रखना किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-122(1) में भी क्षेत्राधिकारी को आरोप पत्र सामान्यतः एक सप्ताह से अधिक लम्बित न रखने के सम्बन्ध में उपबन्धित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 3161(M/B)/2021 में पारित आदेश के क्रम में आपको निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि-

i. विवेचनाधिकारी अपराधों की विवेचना तत्परता से करते हुए आरोप पत्र किता करना सुनिश्चित करेंगे। जिन मामलों में विवेचना पूर्ण करने की समयसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गयी हो ऐसे प्रकरणों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय दाखिल कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. पर्यवेक्षण अधिकारी अपने अधीनस्थ विवेचकों द्वारा की जा रही विवेचनाओं का निकटता से अनुश्रवण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई विवेचना अनावश्यक रूप से लम्बित न रहे।

iii. पर्यवेक्षण अधिकारी आरोप पत्रों को अपने कार्यालय में एक सप्ताह से अधिक लम्बित नहीं रखेंगे।

iv. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मासिक अपराध गोष्ठी में लम्बित विवेचनाओं के साथ पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर पर मा0 विचारण न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु लम्बित आरोप पत्रों के सम्बन्ध में भी समीक्षा करते हुए आरोप पत्रों को न्यायालय में दाखिल कराना सुनिश्चित करायेंगे।

v. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/ परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने अधीनस्थ जनपदों में लम्बित विवेचनाओं एवं मा0 विचारण न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु लम्बित आरोप पत्रों कि समीक्षा करेंगे तथा शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत करा दें तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें । यदि भविष्य में इस प्रकार का दृष्टांत प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों के साथ ही जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशो को अपना व्यक्तिगत ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि अनुपालन में कोई त्रुटि न हो।

भवदीय,

9/2/24

(एच0सी0 अवस्थी)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।